भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 846

23 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश के लिए आवंटित निधि

846. **सुश्री इकरा चौधरीः**

श्री देवेश शाक्यः

श्री लालजी वर्माः

श्रीमती रुचि वीराः

श्री हरेन्द्र सिंह मलिकः

श्री नीरज मौर्यः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश भर में वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के तहत आवंटित बजट के मुकाबले वास्तविक व्यय, स्वीकृत, निर्माणाधीन, पूर्ण और लाभार्थियों को सौंपे गए घरों के संबंध में कोई डेटा है और यदि हां, तो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के कैराना, अम्बेडकर नगर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और आंवला लोक सभा क्षेत्रों तथा एटा और कासगंज जिलों के संबंध में इसका ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि बुनियादी ढांचे की कमी, निर्माण की गुणवत्ता में कमियों और प्रशासनिक देरी के कारण उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों, जिनमें कैराना, अम्बेडकर नगर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और आंवला लोक सभा क्षेत्र तथा एटा और कासगंज जिले शामिल हैं, में स्वीकृत आवास परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो सकीं और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि झुग्गियों में रहने वाले परिवारों का एक बड़ा हिस्सा, किराएदार, बेघर शहरी युवा और अन्य गरीब पात्र व्यक्ति इसके कड़े पात्रता मानदंडों के कारण उक्त योजना के लाभों से वंचित रह गए हैं और यदि हाँ, तो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के कैराना, अम्बेडकर नगर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और आंवला लोक सभा क्षेत्रों तथा एटा और कासगंज जिलों के संबंध में इसका ब्यौरा क्या है;

(घ) शहरी युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए इन आवास परियोजनाओं के पास औद्योगिक गलियारे या कौशल विकास केंद्र विकसित करने के लिए, विशेष रूप से कैराना, अम्बेडकर नगर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और आंवला लोक सभा क्षेत्रों तथा एटा और कासगंज जिलों के संबंध में सरकार की क्या योजना है, और

(ङ) क्या सरकार का पात्रता मानदंडों में कोई संशोधन करने का विचार है और यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश-भर के पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं सहित सभी मौसमों के अनुकूल पक्के आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों से मिली सीख के आधार पर एमओएचयूए ने योजना में बदलाव करते हुए 01.09.2024 से देशभर के शहरी क्षेत्रों में आगामी पांच वर्षों के दौरान 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) - 'सबके लिए आवास' मिशन प्रारंभ किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 का कार्यान्वयन चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) तथा ब्याज सहायता योजना (आईएसएस) के माध्यम से किया जा रहा है। योजना के संचालन दिशा-निर्देश https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf लिंक पर उपलब्ध हैं:

पीएमएवाई-यू तथा पीएमएवाई-यू 2.0 मांग आधारित योजनाएं हैं। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों की पहचान करने, परियोजनाओं की योजना तैयार करने और उनका निष्पादन करने तथा पूर्ण आवासों का आवंटन करने की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। नागरिक पीएमएवाई-यू 2.0 के एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जहां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) पात्रता मानदंडों के आधार पर विभिन्न स्तरों पर आवेदनों का सत्यापन करते हैं। मांग के आकलन तथा लाभार्थियों के सत्यापन के उपरांत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र परियोजना प्रस्ताव तैयार करते हैं, जिन्हें पहले राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है तथा उसके बाद केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा केंद्रीय सहायता

की स्वीकृति के लिए मंत्रालय को भेजा जाता है। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु एकीकृत वेब पोर्टल https://pmay-urban.gov.in पर उपलब्ध है।

पीएमएवाई-यू 2.0 की रूपरेखा, जिसमें पात्रता मानदंड भी शामिल हैं, पीएमएवाई-यू योजना से प्राप्त अनुभवों, वैश्विक सर्वोत्तम कार्यों/मानकों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, बैंकों, आवास वित्त कंपनियों, निजी क्षेत्र आदि सहित विभिन्न हितधारकों के साथ आयोजित परामर्शों की श्रृंखला से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर तैयार की गई है। मंत्रालय के पास पात्रता मानदंडों में कोई संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा अब तक पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत 16.20 लाख आवासों सहित कुल 127.68 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 121.03 लाख आवास निर्माणाधीन तथा 13.07.2026 की स्थिति के अनुसार 99.07 लाख आवास पूर्ण होकर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। कुल 2,12,483 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता अनुमोदित की गई है, जिसमें से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके द्वारा प्रस्तुत अनुपालनों के आधार पर 1,80,582 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत कुल 17.60 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 17.55 लाख आवास निर्माणाधीन हैं तथा 17.18 लाख आवास पूर्ण होकर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं, जो कुल स्वीकृत आवासों का लगभग 98 प्रतिशत है। पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत राज्य में कुल 3.99 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 2.86 लाख आवास निर्माणाधीन हैं तथा अब तक 0.07 लाख आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य में आवासों की कुल स्वीकृति तथा पूर्णता की स्थिति राष्ट्रीय औसत से अधिक है। पीएमएवाई-यू तथा पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत कुल 33,628.24 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है, जिसमें से 30,248.01 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश राज्य को जारी किए जा चुके हैं।

पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत योजना के प्रारंभ से, वर्ष 2025-26 तथा मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सहित देश-भर में स्वीकृत, निर्माणाधीन तथा पूर्ण आवासों तथा अनुमोदित एवं जारी की गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। योजना की प्रगति पीएमएवाई-यू डैशबोर्ड (https://dashboard.pmay-urban.gov.in) पर भी देखी जा सकती है।

पीएमएवाई-यू तथा पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों के लिए मूलभूत अवसंरचना उपलब्ध कराना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र

सरकारों की जिम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त, योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवास परियोजनाओं के निकट कौशल विकास केंद्रों के विकास सहित संबंधित अवसंरचना सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इस योजना का दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) तथा अन्य प्रासंगिक केंद्र प्रायोजित योजनाओं एवं मिशनों के साथ संमिलन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि लाभार्थियों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवास परियोजनाओं के निकट लाभार्थियों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ाने हेतु कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) तथा उसके कार्यक्रमों, जिनमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) भी शामिल है, के साथ संमिलन के माध्यम से कौशल विकास केंद्र भी विकसित कर सकते हैं।

दिनांक 23.07.2026 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 846 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत योजना के प्रारंभ से वर्ष 2025-26 तथा मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सहित देश-भर में स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण आवासों के साथ-साथ अनुमोदित एवं जारी की गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा

ब्यौरा		**विवरण**	**देश भर में**
योजना की शुरूआत से	आवासों की भौतिक प्रगति (संख्या)	स्वीकृत	16,20,087
		निर्माणाधीन	8,41,692
		पूर्ण/सौंपे गए	1,44,648
	केंद्रीय सहायता की वित्तीय प्रगति (करोड़ रु. में)	अनुमोदित	23,500
		जारी	8,850
वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान	आवासों की भौतिक प्रगति (संख्या)	स्वीकृत	10,24,779
		निर्माणाधीन	6,46,425
		पूर्ण/सौंपे गए	99,669
	केंद्रीय सहायता की वित्तीय प्रगति (करोड़ रु. में)	अनुमोदित	14541.98
		जारी	4316.85
मौजूदा वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान	आवासों की भौतिक प्रगति (संख्या)	स्वीकृत	2,44,588
		निर्माणाधीन	1,95,267
		पूर्ण/सौंपे गए	44,979
	केंद्रीय सहायता की वित्तीय प्रगति (करोड़ रु. में)	अनुमोदित	3,595.76
		जारी	4,481.66